साहिल कुमार बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 125,136 एलआरएक्ट

प्र.सं. 280/2021 जीसीएमएस आईडी : 2021/963

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
21.02.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/भू.अ./2023/712 दिनांक 10.02.2023 प्राप्त हुई। वकील वादी के निवेदन करने पर प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया गया हैं कि चक 5 एनपी के खाता सं. 105/75 में मु.नं. 32 व 33 की कुल 4.920है. नहरी मय स्केप व खाला भूमि वादी की खातेदारी है। वादी का वास्तविक नाम साहिल कुमार हैं। वादी को उसके परिजन वादी के वास्तविक नाम साहिल कुमार के अलावा छोटे नाम साहिल पुकारने के कारण वादी को दोनों नामों से ही जाना जाने लगा, इस प्रकार वादी के पिता विजय कुमार को उनके जीवनकाल में परिजन व पूर्व विजयकुमार व बृजलाल दोनों नामों से जाना पहचाना जाता हैं। उपरोक्त रकबा वादी को विरास्तन व तत्पश्चात अन्य सहहिस्सेदारान द्वारा हकत्याग करने से प्राप्त हैं। वाद व उसके पिता का नाम साहिल कुमार पुत्र बृजलाल उर्फ विजयकुमार की बजाये सहबन से भूमि अभिलेखों में साहिल पुत्र विजयकुमार के नाम से नामान्तरित कर दी गई और यही नाम अभिलेखों में चला आ रहा हैं। राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम साहिल पुत्र विजयकुमार के स्थान पर साहिल कुमार पर बृजलाल उर्फ विजयकुमार दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया हैं। अतः प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित न होकर मात्र रिकार्ड दुरूस्ती का हैं। अतः 88 आरटीएक्ट के तहत किसी प्रकार का अनुतोष वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता हैं। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2023/712 दिनांक 10.02.2023 में साहिल उर्फ साहिल कुमार पुत्र विजय कुमार उर्फ बृजलाल करने की अनुशंषा की हैं। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, व्यक्तिगत पहचान के दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट आधार पर दुरूस्ती किया जाना उचित हैं। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी आंशिक रूप से धारा 125–136 भू राजस्व अधिनियम के अनुतोष की हद तक स्वीकार किया जाता हैं तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 5 एनपी के खाता[illegible]105/76 में[illegible]33 की कुल 4.920है. नहरी मय स्केप व खाला भूमि [illegible] के नाम साहिल पुत्र विजयकुमार के स्[illegible] कुमार पुत्र विजय कुमार उर्फ बृजल[illegible] करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर [illegible] जाते हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश की प्रति [illegible]नार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (गुंजन सिंह) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:42:58 IST
Reason: SelfAttested